

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-2/एम०एम० (बा०) 13/15-...../एम०, पटना, दिनांक-.....
प्रेषक,

E-mail/whats-
app/Web

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
गोपालगंज।

विषय:- गोपालगंज जिलान्तर्गत (सम्पूर्ण जिला) बालूघाटों की बंदोबस्ती करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पंचांग वर्ष 2015-19 की अवधि के लिए गोपालगंज जिलान्तर्गत (सम्पूर्ण जिला) बालूघाटों की बंदोबस्ती की गई थी, परन्तु कतिपय अनियमितताओं के कारण बंदोबस्ती रद्द कर दी गई थी। पंचांग वर्ष 2015-19 की अवधि व्यतीत होने में लगभग 14 माह शेष है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त शेष अवधि के लिए गोपालगंज जिलान्तर्गत (सम्पूर्ण जिला) बालूघाटों की बंदोबस्ती लोक नीलामी (Forward bidding) के माध्यम से कराने हेतु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण करते हुए बंदोबस्ती कराने हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाये तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

E-mail/Whats
app

ज्ञापांक- 3447/एम०, पटना, दिनांक- 24/8/18
प्रतिलिपि:- जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव